संख्या-83/2016/991/71-1-2016-जी-309/2008

प्रेषक,

संजय कुमार उपाध्याय,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च, 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झॉसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद में ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एमई/बजट/2015-16/874, दिनॉक 01-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झॉसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद में ट्रामा सेन्टर के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से मानक मद-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में प्राविधानित धनराशि रू0 4,50,00,000/- (रू0 चार करोड़ पचास लाख मात्र) में से रू0 2,50,00,000/- (रू0 दो करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

2- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

3- वित्त बजट-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

5- उक्त मद की धनराशि मेडिकल कालेजों से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए औचित्य स्थापित होने पर ही आवंटित/स्वीकृत की जाएगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-आयोजनागत-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

105-एलोपैथी-03-शिक्षा-73-राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झाँसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद में ट्राम सेन्टर के संचालन हेतु-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30 मार्च, 2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

(संजय कुमार उपाध्याय)
संयुक्त सचिव

संख्या:- 83/2016/ 991(1)/71-1-2016 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झाँसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झाँसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, मेरठ, आगरा, झाँसी, गोरखपुर एवं इलाहाबाद।
6- नियोजन-अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जयवीर सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।